

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्  
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH  
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110 001  
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi-110001



सां/No. : 5-1(49)/2008-PD

दिनांक/Dated: 11.01.2022

प्रेषक / From : संयुक्त सचिव (प्रशासन)  
Joint Secretary (Admn.)

सेवा में / To : सी.एस.आई.आर. की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालय/एककों के निदेशक/प्रधान  
The Directors/Heads of all CSIR National Labs./Instts./Hqrs./Units

महोदय/Sir / महोदया/Madam,

मुझे भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निम्नलिखित कार्यालय ज्ञापन को आपकी जानकारी, मार्गदर्शन और अनुपालन के लिए अग्रेषित करने का निदेश हुआ है:

I am directed to forward herewith the following Office Memorandum issued by the Government of India for your information, guidance and compliance:

क्रम सं. Sl. No.	कार्यालय ज्ञापन सं/. Office Memorandum No.	विषय/ Subject
1.	भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग का कार्यालय ज्ञापन सं० 1/15/2020- पी&पीडब्ल्यू (ई) दिनांक 09.12.2021  Government of India, Ministry of Personnel Pension & Public Grievance, Department of Pension & Pensioners' Welfare Office Memorandum No. 1/15/2020-P&PW (E) dated 09.12.2021	किसी सरकारी कर्मचारी पर शास्ति चालू रहने के दौरान, उसकी मृत्यु होने पर, कुटुंब पेंशन और मृत्यु उपदान की गणना के लिए वेतन/परिलब्धियों के अवधारण के संबंध में।  Determination of Pay/Emolument for calculation of family pension and death gratuity where a Government servant dies during currency of a penalty - regarding.

भवदीय/Yours faithfully,

  
Jan 11 2022

(एम. अरुण मणिकण्ड भारति/ M. Arun Manikanda Bharathi)

अवर सचिव (नीति प्रभाग)/US (PD)

संलग्न/Encl. : यथोपरि/As above

प्रतिलिपि/Copy to:

- आई.टी. प्रभाग प्रमुख वेबसाइट और पॉलिसी रिपॉजिटरी पर इस परिपत्र को उपलब्ध कराने के अनुरोध के साथ/  
Head, IT Division with the request to make this circular letter available on the website & Policy Repository.
- कार्यालय प्रति/Office copy.

1/15/2020-पी&पीडबल्यू (ई)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

(डेस्क-ई)

तीसरा तल, लोक नायक भवन,

खान मार्केट, नई दिल्ली-110003

दिनांक दिसंबर 9, 2021

### कार्यालय जापन


**विषय :-**किसी सरकारी कर्मचारी पर शास्ति चालू रहने के दौरान, उसकी मृत्यु होने पर, कुटुंब पेंशन और मृत्यु उपदान की गणना के लिए वेतन/परिलब्धियों के अवधारण के संबंध में

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली, 1972 के नियम 54(14)(ग) के अनुसार, कुटुंब पेंशन के प्रयोजन के लिए वेतन का अर्थ, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 33 में निर्दिष्ट परिलब्धियां या केन्द्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 34 में निर्दिष्ट औसत परिलब्धियां हैं, यदि मृतक सरकारी कर्मचारी की परिलब्धियां उसकी सेवा के अंतिम दस मास के दौरान शास्ति से अन्यथा कम कर दी गई हैं। सेवानिवृत्ति/मृत्यु उपदान की गणना के लिए नियम 50(5) में भी ऐसा ही प्रावधान है।

2. नियम 33 के अनुसार, 'परिलब्धियां' पद से मूल नियमों के नियम 9(21)(क)(i) में यथा परिभाषित मूल वेतन अभिप्रेत है जो सरकारी कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति से ठीक पूर्व या अपनी मृत्यु की तारीख को ले रहा था। नियम 34 के अनुसार, औसत परिलब्धियां सरकारी कर्मचारी की सेवा के अंतिम दस मास के दौरान उसके द्वारा ली गई परिलब्धियों के प्रतिनिर्देश से अवधारित की जाएंगी।

3. इस विभाग में कई संदर्भ प्राप्त हुए हैं, जिनमें यह सलाह मांगी गई है कि ऐसे सरकारी कर्मचारी के संबंध में कुटुंब पेंशन और मृत्यु उपदान की गणना कैसे की जाए, जिस सरकारी कर्मचारी की शास्ति चालू रहने के दौरान मृत्यु हो जाती है, जिससे सरकारी कर्मचारी का वेतन केवल एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए कम हो जाता है, क्योंकि ऐसे मामलों में शास्ति का प्रभाव शास्ति के आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि तक सीमित होता है और शास्ति की अवधि के समाप्त होने के बाद सरकारी कर्मचारी अपना वेतन और वेतनवृद्धि प्राप्त कर लेता है। यह स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्या ऐसे मामलों में, कुटुंब पेंशन और उपदान की गणना उस घटे हुए वेतन के आधार पर की जाएगी, जो सरकारी कर्मचारी मृत्यु की तारीख को वस्तुतः आहरित कर रहा था या उस वेतन पर जो उसे तब मिलता जबउसके उपर ऐसी शास्ति अधिरोपितन की गई होती।

4. व्यय विभाग से परामर्श करते हुए इस मामले पर विचार किया गया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 18 जून, 2019 के का.जा.सं.11012/15/2016-स्था. ए-III में यह स्पष्ट किया गया है कि वेतन के समय-मान में निम्नतर स्तर पर अवनति, वेतनवृद्धि रोकने और वेतन के समय-मान को किसी निचले स्तर तक घटाने की शास्तियां अधिरोपित होने पर, किसी सरकारी कर्मचारी के वेतन को विनियमित कैसे किया जाए। इन निर्देशों में उन शास्तियों का भी उल्लेख किया गया है जिन्हें अधिरोपित करने पर, शास्ति की अवधि समाप्त होने के पश्चात वेतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसी शास्तियों के चालू रहने के दौरान सरकारी कर्मचारी का अवनत वेतन कैसे तय किया जाए।



5. यह देखा गया है कि उपरोक्त पैरा 3 में संदर्भित शास्तिके चालू रहने के दौरान मृत्यु होने के मामले में वस्तुतः आहरित वेतन के आधार पर कुटुंब पेंशन और मृत्यु उपदान अवधारित करने के परिणामस्वरूप, मृत्यु उपदान की रकम कम हो जाएगी और विधवा/कुटुंब को मिलने वाली कुटुंब पेंशन भी कम हो जाएगी। उस शास्ति को अधिरोपित करने वाले अनुशासनिक प्राधिकारी का यह इरादा नहीं हो सकता। इसलिए, ऐसे मामलों में जहां अनुशासनिक प्राधिकारी का इरादा सरकारी कर्मचारी पर केवल एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए शास्ति के प्रभाव को प्रतिबंधित करना था, ऐसी शास्तिके चालू रहने के दौरान घटे वेतन के आधार पर कुटुंब पेंशन और मृत्यु उपदान अवधारित करने के परिणामस्वरूप, शास्ति के दौरान मरने वाले सरकारी कर्मचारी के कुटुंब को अनभिप्रेत कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

6. तदुसार, यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे मामलों में जहां किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु, ऐसी शास्ति चालू रहने के दौरान हो जाती है, जिसकी समाप्ति पर उसे वही वेतन वापस मिल जाता, जो उसे तब मिलता यदि उसके उपर ऐसी शास्ति अधिरोपित नहीं की गई होती, तो ऐसे सरकारी कर्मचारी के संबंध में मृत्यु उपदान और कुटुंब पेंशन उस अवनत वेतन के आधार पर अवधारित किए जाएंगे जिसका वह मृत्यु की तारीख को हकदार होता और ऐसे अवनत वेतन को इस प्रयोजन के लिए परिलब्धियों के रूप में समझा जाएगा।


7. ये अनुदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और पुराने मामलों पर पुनः विचार नहीं किया जाएगा। तथापि, ऐसे मामलों में जहां सरकारी कर्मचारी की मृत्यु, इन अनुदेशों के जारी होने से पहले हो चुकी है, किंतु कुटुंब पेंशन और मृत्यु उपदान अभी तक अवधारित नहीं किया गया है, उन मामलों में भी इन अनुदेशों के अनुसार निर्णय लिया जाएगा।

8. केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 में आवश्यक संशोधन पृथक रूप से किया जाएगा।

9. इस कार्यालय ज्ञापन को वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, के दिनांक 12.08.2021 के आईडी नोट संख्या 1(13)/ईवी/2021 के द्वारा दी गई सहमति के पश्चात जारी किया जा रहा है।

10. भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के कर्मचारियों पर लागू, भारत के संविधान के अनुच्छेद 148(5) के अधीन यथा अधिदेशित, यह आदेश भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के साथ, उनके दिनांक 23.09.2021 के यू.ओ.संख्या-216-स्टाफ हक (नियम)/ए.आर./09-2019 के द्वारा किए गए परामर्श के पश्चात जारी किया जा रहा है।

11. सभी मंत्रालयों/विभागों और संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के प्रशासनिक प्रभागों से अनुरोध है कि इन निर्देशों की विषय-वस्तु को अनुपालनार्थ सभी संबंधितों के संज्ञान में लाएं।



(संजय शंकर)

भारत सरकार के उप सचिव

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. राष्ट्रपति सचिवालय
3. उपराष्ट्रपति सचिवालय
4. प्रधानमंत्री कार्यालय
5. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
6. कैबिनेट सचिवालय
7. संघ लोक सेवा आयोग
8. एनआईसी को वेबसाइट में अपलोड करने के लिए

**No. 1/15/2020-P&PW (E)**  
**Government of India**  
**Ministry of Personnel Pension & Public Grievance**  
**Department of Pension & Pensioners' Welfare**  
**(Desk-E)**

**3<sup>rd</sup> Floor, Lok Nayak Bhawan**  
**Khan Market, New Delhi-110003**  
**Dated December 9, 2021**

**OFFICE MEMORANDUM**

**Subject:** - Determination of Pay/Emolument for calculation of family pension and death gratuity where a Government servant dies during currency of a penalty - regarding


The undersigned is directed to say that in accordance with Rule 54(14)(c) of CCS Pension Rules, 1972, the pay for the purpose of family pension means the emoluments as specified in Rule 33 of the CCS (Pension) Rules, 1972 or the average emoluments as referred to in Rule 34 of the CCS (Pension) Rules, 1972, if the emoluments of the deceased Government servant have been reduced during the last ten months of his service otherwise than as penalty. Similar provision exists in Rule 50(5) for calculation of retirement/death gratuity.

2. As per Rule 33, the expression '*emoluments*' means basic pay as defined in Rule 9(21)(a)(i) of the Fundamental Rules which a Government servant was receiving immediately before his retirement or on the date of his death. As per Rule 34, average emoluments are determined with reference to the emoluments drawn by a Government servant during the last ten months of his service.

3. References have been received in this Department seeking advice as to how family pension and death gratuity in respect of a Government servant are to be calculated if a Government servant dies during the currency of a penalty, which reduces the pay of the Government servant for a specified period only, as in such cases the impact of the penalty is limited to the period specified in the order of penalty and the Government servant regains his pay and increments after the period of penalty is over. Clarifications have been sought whether, in such cases, family pension and gratuity would be calculated based on the reduced pay, which the Government servant was actually drawing on the date of death or on the pay which he would have drawn if such a penalty had not been imposed on him.

4. The matter has been examined in consultation with Department of Expenditure. The manner in which the pay of a Government servant is to be regulated on imposition of penalties of reduction to a lower stage, withholding of increment and reduction to a lower time scale, has been explained in Department of Personnel & Training's OM No. 11012/15/2016-Estt A-III dated 18th June, 2019. These instructions also bring out the penalties on imposition of which there is no impact on the pay after the expiry of the period of penalty and also the manner in which notional pay of a Government servant is to be fixed during the currency of such penalties.

5. It is observed that determination of family pension and death gratuity based on actual pay drawn in case of death during the currency of a penalty referred to in para 3 above would result in reduced amount of death gratuity and also reduced family pension to the widow/family. This may not be the intention of the disciplinary authority while imposing that penalty. Therefore, in cases where the intention of the disciplinary authority was to restrict the impact of the penalty on the Government servant for a specified period only, determination of family pension and death gratuity on the basis of the reduced pay during the currency of such penalty would result in an unintended hardship to the family of the Government servant, who dies during the currency of such penalty.



6. It has, accordingly, been decided that in cases where a Government servant dies during the currency of a penalty on expiry of which he would have regained the same pay which he would have drawn if the penalty had not been imposed on him, the family pension and death gratuity in respect of such Government servant shall be determined based on the notional pay which he would have been entitled to on the date of death and such notional pay may be treated as emoluments for this purpose.

7. These instructions shall be applicable with immediate effect and the past cases shall not be re-opened. However, the cases where the death of a Government servant has occurred before the issue of these instructions but family pension and death gratuity has not been determined so far may also be decided in accordance with these instructions.

8. Necessary amendment in the CCS (Pension) Rules, 1972 shall be made separately.

9. This OM is issued with the concurrence of Ministry of Finance, Department of Expenditure vide their ID No. 1(13)/EV/2021 dated 12.08.2021.

10. In its application to persons belonging to Indian Audit and Accounts Department, these orders are issued under Article 148(5) of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor General of India vide their यू.ओ.संख्या-216-स्टाफ हक.(नियम)/ ए.आर./09-2019 दिनांक 23.09.2021.

11. The Administrative Divisions of all Ministries/Departments and attached/subordinate offices are requested to bring the contents of these instructions to the notice of all concerned for compliance.

(Sanjoy Shankar)

Deputy Secretary to the Government of India

1. All Ministries/Departments of the Government of India
2. President's Secretariat
3. Vice President's Secretariat
4. Prime Minister's Office
5. Comptroller & Auditor General of India
6. Cabinet Secretariat
7. Union Public Service Commission
8. NIC for uploading in the Website